

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना महुली** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम अमन पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी कुरसुरी थाना महुली जनपद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री ध्रुवनरायण यादव, का0 सूर्यनरायण गुप्त।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 16 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5263 द्वारा दो पक्षों के आपसी विवाद/मारपीट में घायल 03 महिलाओं को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5263 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत गरथौली से कालर द्वारा दो पक्षों के आपसी विवाद/मारपीट में घायल 03 महिलाओं (01. जानकी पत्नी कल्पनाथ 02. फूलमति पत्नी कोमल 03. सुनीता पत्नी मुन्नू निवासीगण गरथौली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट में घायल महिलाओं को इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी सेमरियावां भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घायल महिलाओं को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- हे0का0 आशुतोष विश्वकर्मा, हो0गा0चा0 रिजवान अहमद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 345 वाहनों से 4,85,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 345 वाहनों से 4,85,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक 10.10.2026

क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर ठगी के शिकार हुए 02 पीड़ितों को साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 28,022 रु0 की धनराशि ।

पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक के मोबाइल को APK App डाउनलोड कराकर मोबाइल को हैक कर लिया गया तथा फ्रॉडर द्वारा गलत ट्रांजेक्शन किया गया। आवेदक के साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्रॉड खाते में ट्रांसफर हुए 96428 रु0 में से 28022 रु0 की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- अब्दुल अहद पुत्र इम्तियाज खान निवासी मोतीपुर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर से दिनांक 21.09.2024 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़ित के मोबाइल को APK App डाउनलोड कराकर मोबाइल को हैक कर लिया गया तथा फ्रॉडर द्वारा गलत ट्रांजेक्शन किया गया । ठगी का अहसास होने पर आवेदक ने तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर शिकायत दर्ज कराया गया था । साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर प्राप्त शिकायत पर आवश्यक एवं प्रभावी पैरवी से 96428-/- रुपये में से 28022 रुपये की धनराशि पीड़ित को सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी ।

साइबर हेल्प डेस्क:- थानाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार, प्रभारी साइबर हेल्प डेस्क उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव, का0 दीनानाथ, का0 शैलेश यादव, का0 अजीत यादव ।

अपील- जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं । साइबर ठगी होने पर तत्काल [Cybercrime.gov.in](https://cybercrime.gov.in) पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल टीवीएस अपाची व फर्जी नम्बर प्लेट के साथ **02** अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी मेहदावल श्री सर्वदवन सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष बेलहरकला श्री सर्वेश कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना में संलिप्त **02 अभियुक्तों 1. तौलन पुत्र बजरंगी निषाद निवासी देवापार थाना दुधारा 2. शनि पुत्र सुबाष यादव निवासी लोहरौली थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर** को आज दिनांक **10.10.2026** को नन्दौर रुधौली मार्ग पर सुरसा चमनजोत के पास से अभियुक्तगणों को 01 अदद मोटरसाईकिल टीवीएस अपाची को फर्जी नम्बर प्लेट UP58U1912(वास्तविक रजि0नं0 यू0पी0 58 एएम 8387) के साथ गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक **07.10.2026** को वादी नागेन्द्र चौरसिया पुत्र रामसुभग चौरसिया निवासी नकाही पोस्ट जसवल थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि दिनांक **06.10.2026** को दिन में धुरुसपुरवा के पास रोड़ के किनारे खड़ी उनकी टीवीएस अपाचे मोटरसाईकिल (रजि0नं0 यू0पी0 58 एएम 8387) व 01 अदद ओप्पो मोबाइल को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 297/2026, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण / निरुद्ध बालक का विवरण-

1. तौलन पुत्र बजरंगी निषाद निवासी देवापार थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर।
2. शनि पुत्र सुबाष यादव निवासी लोहरौली थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त तौलन पुत्र बजरंगी द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.10.2026 को मैं और मेरा साथी राहुल यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी ग्राम लोहरौली थाना बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर द्वारा इस गाड़ी व 01 मोबाईल ओप्पो को ग्राम घुसुरपुरवा से चोरी कर लिये थे। जिसका नम्बर प्लेट हम लोगों द्वारा असली पहचान छिपाने के लिये व पुलिस तथा गाड़ी मालिक से बचने के लिये नम्बर प्लेट बदलकर लगाये हैं तथा असली नम्बर प्लेट तोड़ कर फेंक दिये हैं। तत्पश्चात चोरी किये गये मोबाईल ओप्पो के बारे में पूछा गया तो बताया कि उस मोबाईल को लेकर मेरा दोस्त राहुल यादव उपरोक्त नेपाल देश में है मोबाईल उसी के पास है। आज मैं व शनि इस गाड़ी को लेकर वहीं बेचने जा रहे थे।

बरामदगी का विवरण

01. 01 अदद मोटरसाईकिल टीवीएस अपाची को फर्जी नम्बर प्लेट UP58U1912(वास्तविक रजि0नं0 यू0पी0 58 एएम 8387)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री मातिबर सिंह यादव, हे0का0 दीनानाथ राजभर, का0 लक्ष्मीकान्त तिवारी, का0 मनीष चन्द, का0 धीरज कुमार।